



HUNDREDPAISA

आवेदन
कर्ता की
फोटो

DOMECILE CERTIFICATE (For Office use) _____

आवेदक का नाम : _____ माता का नाम _____

मोबाइल नं० _____

सख्या-874/एक-9-2014-रा-9दिनांक 16 जून 2014 का सलग्नक

स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/श्री.....
उम्र/जन्म तिथिवर्ष..... व्यवसाय.....,
निवासी.....

थाना.....पिन कोड.....प्रमाणित करते हुये घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिये गये विवरण/ तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी एवं विश्वास में शुद्ध एवं सत्य है। मैं मिथ्या विवरण / तथ्य को देने के परिणाम से भली-भति अवगत हूँ यदि आवेदन पत्र में दिये गए कोई विवरण /तथ्य मिथ्या पाए जाते हैं तो मेरे विरुद्ध भा०द०वि० १९६० कि धारा १९९ व २०० एवं प्रभावी किसी अन्य विधि के अंतर्गत अभियोजन एवं दंड के लिए स्वयं उत्तरदायी होऊंगा/होऊँगी।

स्थान..... आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

दिनांक..... आवेदक/आवेदिका का नाम

अधिवास प्रमाणपत्र

अधिवास स्थान/निवास प्रमाण पत्र साधारणतः यह साबित करने के लिए जारी किया जाता है कि प्रमाणपत्र धारण करने वाला व्यक्ति उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का निवासी है । इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता शैक्षिक संस्थानों और सरकारी सेवाओं में निवास स्थान/निवास का कोटा लिए जाने व नौकरी के मामले में भी जहां स्थानीय निवासियों को वारीयता दी जाती है, होती है । निर्धारित आवेदन पत्र ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध हैं। आपको निर्धारित न्यूनतम अवधि के लिए लगातार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में निवास करने का प्रमाण देने की आवश्यकता होगी। महिलाएं, जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में मूलरूप से रहती हैं परन्तु ऐसे पुरुषों से विवाह करती हैं जो स्थायी रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं, जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के निवास स्थान प्रमाण पत्र के पात्र हैं, वे निवास स्थान प्रमाण पत्र के लिए पात्र हैं।

आवश्यक दस्तावेज:

1. आवेदक का फोटो
2. प्रमाणित घोषणा पत्र
3. वोटर पहचान पत्र की छायाप्रति
4. राशन कार्ड की छायाप्रति अथवा बिजली का बिल
5. यदि शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र